

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

संख्या व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

26/3/25

पत्रावली पेश हुई। वारी एवं वारी आधिकारता अनु।
 वारी एवं वारी आधिकारता को साक्ष्य उपलब्ध करने हेतु
 पर्याप्त अवकाश दिये जाने के बावजूद भी वारी एवं
 साक्ष्य उपलब्ध नहीं किये जाने के कारण वारी की साक्ष्य
 वेद की जाती है। प्रारिवादीगणकेबाद तामील भी अनुपस्थित
 रहने से प्रारिवादीगण का जवाब पूर्व में लंबा किया जा
 चुका है। वारीगण एवं वारी आधिकारता को निपटारा
 तीन बार आवाने लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित
 नहीं आया। वारीगण एवं वारी आधिकारता को न्यायालय
 में पुनः एक बार आवाने लगवाई गई। परन्तु कोई
 उपस्थित नहीं आया। वारीगण एवं वारी आधिकारता के
 न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वारी का
 वेद अनन्तगत धारा 88, 89 व 188 सजा-मान काश्तकमी
 आधीनिपत के अनन्तगत की अदम टाजरी अदम पौकी
 में स्थापित किया जाता है। निष्पत्ति से इजलास पुनः
 गाना रिक्ती पर्याजारी है।

पत्रावली फाइनल शुमार लेकर
 दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर ति कम हो।

26/3/25
 सहायक कलक्टर
 मीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. लेहरी देवी पुत्री मांगु जी पत्नी श्यामलाल कुमावत निवासी कारोई कला हाल मण्डपिया, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रामगणी पुत्री मांगुजी पत्नी भैरु कुमावत उम्र वयस्क निवासी कारोई कला हाल गठीला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. अण्ठी पुत्री मांगु जी पत्नी रामचन्द्र कुमावत, निवासी कारोई का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. सुखी पुत्री मांगु जी पत्नी भैरूलाल निवासी कारोई का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. सोहनी पुत्री मांगु पत्नी बालूराम कुमावत उम्र वयस्क निवासी कारोई कलां हाल बोरड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. लाली पुत्री मांगु कुमावत पत्नी खेमराज कुमावत निवासी कारोई का खेड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. मांगु पिता मेघा कुमावत उम्र वयस्क निवासी कारोई कलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कारोई कलां, भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
5. उपपंजीयक, पंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

प्रकरण संख्या 41/2018 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 26.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


26/3/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा